|  |
| --- |
| राजस्थान सरकार  जिला  ...................................................  कार्यालय ................................................................... (अधिकृत अधिकारी)  अनुमति पत्र  आवेदक श्री.................................................... के वाहन संख्या..................................................  को अति आवश्यक कार्य............................................................हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने के दृष्टिगत गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प 32 (2) गृह-9 / 2019 दिनांक 23.03.2020 की अनुपालना में स्थान .............................. से स्थान...........................तक, दिनांक .................................से दिनांक .............................तक की अनुमति प्रदान की जाती है।  (अधिकृत अधिकारी)      अधिकृत अधिकारी  नाम    ...................................................  पदनाम     ...................................................  मोबाईल नंबर ................................................... ई-मेल      ................................................... |